P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* (Part-1) August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

धार जिलें की आदिवासी जनजातियों को बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय पूर्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मुमुक्षा जैन
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
लक्ष्मीनारायण कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
सावेर रोड इन्दौर,
मध्य प्रदेश

सारांश

देश के कई क्षेत्रों में निवास करने वाली आदिवासियों का आज भीं पिछड़ापन यह दर्शाता है कि उनमें मूलभूत सुविधाओं एंव आवश्यक जानकारियों का अभाव रहा है। वर्षों से आर्थिक अभावों में जीवनयापन करने की वजह केवल निश्चित साहूकारों से ही आर्थिक लेनदेन करना तथा उस पर ब्याज दर का असामान्य होना रहा है।

मुख्य शब्द : आदिवासी, पिछड़ापन, वित्तीय, जनसंख्या

प्रस्तावना

बैंकिंग क्षेत्र ने जैसे ही अपना फैलाव प्रारम्भ किया वैसे ही उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में अपनी सेवाओं और व्यापार से उन क्षेत्रों के विकास में प्रबल संभावनाए दिखाई दी। सरकार ने भीं अपने योजनाकारों से अनुरोध किया कि वे अपनी सभीं नीतियों में इन क्षेत्रों के विकास के मद्देनजर वहां बैंकिंग शाखाएं प्रारम्भ करें। बैंकिंग सेवाओं का आदिवासी क्षेत्रों में आगमन से हुए विकास के अध्ययन से ही बैंकिंग सेवाओं की सफलता की सार्थकता ज्ञात हो सकेगी। मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 72626809 है जिनमें पुरूषों की संख्या 37612306 और महिलाओं की संख्या 35014503 है। मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21.1 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी हैं। 2011 जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में 46 आदिवासी समूह हैं। मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य जिले पाए जाते है जिसमें से एक जिला है आदिवासी जिला धार जो 8153 वर्ग किलोमीटर के अन्दर फैला हुआ है। जो 7 (सात) तहसीलों में बँटा हुआ है और उसमें 13 (तेरहा) विकासखण्ड है।

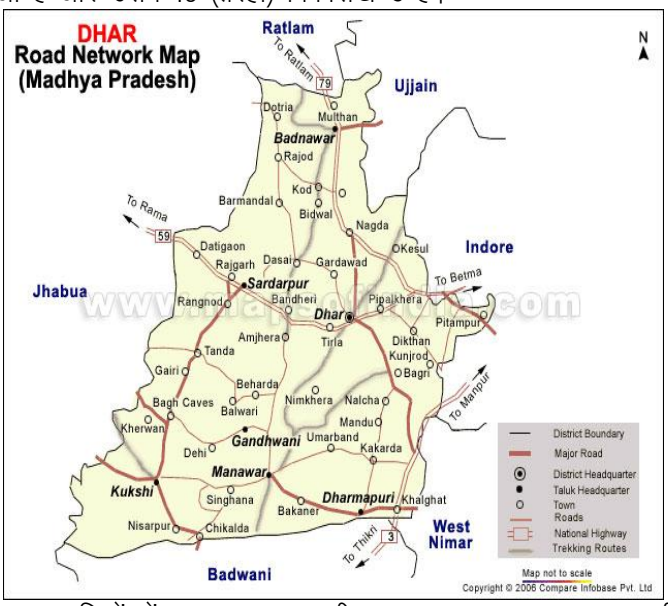

धार जिलें में बदनावर, धरमपुरी, सरदारपुर, धार, मनावर, कुक्षी और गंधवानी तहसीलें है। सरदारपुर, धार, तिरला, नालछा, बदनावर, धरमपुरी, मनावर, कुक्षी, उमरबन, निसरपुर, गंधवानी, डही और बाग विकासखण्ड है। धार जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 2185793 है जिनमें पुरूषों की संख्या 1112725 और महिलाओं की संख्या 1073068 है। धार जिला आदिवासी बहुल्य जिला है।

आदिवासी लोग स्वभाव से मस्त मौला होते है। भविष्य के प्रति निश्चिन्तता उनका स्वाभाविक गुण है। ये लोग वर्तमान में विश्वास रखते है।

बीते हुये कल और आने वाले कल के प्रति चिन्तित नही होते है। अतः जनजातिय लोगों के स्वभाव में धन बचाने की प्रवृति नहीं होती है। जनजातिय लोगों में व्याप्त गरीबी व बेरोजगारी के कारण वैसे भी इनके पास धन की प्रचुरता नहीं होती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये इनमें खर्च करने की प्रवृति अधिक होती है। यही कारण है कि उन्हें थोडी सी भी आय प्राप्त होती है तो ये उसे षीघ्र ही खर्च कर देते है। खाने पीने की सामग्री के अतिरिक्त सजने संवरने पर भी ये लोग अधिक खर्च करते है। मेले उत्सव आदि सामाजिक दायित्वों में भी इनका हाथ ज्यादा खर्चीला माना जाता है। चाँदी के गहने पहनने का इन्हें लगाव है। इससे यह ज्ञात होता है आदिवासी लोगों में बचत की आदत नहीं होती है और ना ही इनके पास बचाने के लिये पर्याप्त धन है। ये लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की प्रवृति रखते है। अतः आदिवासी क्षेत्रों में बचत और बैंकिंग आदत का विकास करना कठिन चुनौती है।

बैंक द्वारा इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया गया और आदिवासी क्षेत्रों में तीव्र गति से बैंकिंग विकास हुआ। बैंकों को आदिवासी लोगों से जोडने के लिये बैंकों के बारे में जानकारी देना आवश्यक था तभी वे बैंको द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले पाते। अतः यह जानना होगा कि आदिवासियों को बैंकों के बारे मे जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई । आदिवासियों को बैंकों के बारे में जानकारी देने वाले स्त्रोत कौन–कौन से है। बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ लेने में उन्हें सहायता किसने प्रदान करी। साक्षात्कार के माध्यम से सम्बंधिंत आंकड़ें एकत्रित किये गये और उन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक 1

आदिवासियों को बैंकों के बारे में जानकारी देने वाले स्त्रोत

.	पूछे गये प्रश्न	उत्तरदाताओं की संख्या	कुल का प्रतिशत
.	आपको यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई की बैंक आपको सहायता प्रदान कर सकती है।		
	1. समाचार पत्र	–	–
	2. रेडियों, टी.वी से	–	–
	3. बैंक अधिकारी से	52	26
	4. विकास अधिकारी से	–	–
	5. पंचायत समिति	40	20
	6. रिश्तेदार	56	28
	7. अन्य बैंक ग्राहक	36	18
	8. राजनेता	–	–
	9. अन्य स्वयंसेवी संस्था	16	8
	योग	200	100
.	ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में आपको किसने सहायता प्रदान की–		
	1. बैंक अधिकारी, बैंक कर्मी	104	52
	2. रिश्तेदार	36	18
	3. किसी ने नहीं स्वंय	24	12
	4. पंचायत समिति	–	–
	5. अन्य स्वयंसेवी संस्था	36	18
	योग	200	100

साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार

सर्वेक्षण के दौरान कुल 200 बैंक ग्राहकों आदिवासियों का साक्षात्कार किया गया। लगभग 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा कि किसी रिश्तेदार व अन्य बैंक ग्राहकों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि बैंक उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। बैंक अधिकारियों से मात्र 26 प्रतिशत ग्राहकों ने बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त करने की बात कही। इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि उन्हें ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में किससे सहायता प्राप्त हुई तो लगभग 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंक अधिकारियों, बैंक कर्मियों से सहायता प्राप्त की अर्थात यह स्पष्ट है कि बैंक में पहुचने के पश्चात बैंक कर्मी सहायता करते है, परन्तु आदिवासी लोगों में अभी भी बैंकों के बारे में जानकारियों का अभाव है कि उनके क्षेत्र के बैंक उनकी आर्थिक सहायता करने हेतु स्थापित किये गये है।

जैसे–जैसे आदिवासियों को बैंकों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होगी वैसे–वैसे उनकी जिंदगी में बैंकों का महत्व भी बढा और आदिवासी जनों के द्वारा बैंकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। आदिवासियों को आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिये उन्हें बचत करनी होगी और बचत तभी होगी जब वे अपने द्वारा प्राप्त आय में से उपभोग के लिये व्यय कम कर करेगें।

आदिवासी लोगों की जीवनशैली अनूठी है वे अपनी इस विशिष्ट स्थिति को बनाये रखने के लिये दृढ़ संकल्पित है। यह स्पष्ट है कि आदिवासी लोगों का विकास उनकी सामाजिक संरचना को बनाये सखते हुये ही किया जाना उचित है। आदिवासी लोगों की कई परम्पराए है जिसमें उन्हें धन की आवश्यकता होती है। इन आदिवासी लोगों की वित्तीय आवश्यकताएँ या तो अनुत्पादक वित्तीय आवश्यकता होती है या फिर उत्पादक वित्तीय आवश्यकता। आदिवासी समाज की अपनी सभ्यता है। इनकी स्वंय की परम्पराएँ, रीति रिवाज, संस्कार है। जिनका पालन करना प्रत्येक आदिवासी के लिये आवश्यक है। यदि आदिवासी व्यक्ति इन परम्पराओं का निर्वाह ना करें तो सामाजिक मान मर्यादा को ठेस पहुचती हैं तथा समाज में यह बुरा भी माना जाता है। अतः आदिवासी व्यक्ति समाज से अलग स्वयं के व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता है।

प्राचीन काल में जब आदिवासी समाज आधुनिक सभ्यता के प्रत्यक्ष में नहीं था, तब वह अपनी कृषि व वन उपज से प्राप्त आय से इन सभी परम्पराओं का निर्वाह किया करता था। लेकिन उस समय आदिवासी लोग संतोषी प्रवृति के हुआ करते थे उनकी जरूरतें बहुत सीमित हुआ करती थी। सभी सामाजिक उत्तरदायित्व में बहुत कम धन की आवश्यकता हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब आदिवासी लोग एक रूपये, पाँच रूपये और श्रीफल में वधु मूल्य का भुगतान कर विवाह सम्पन्न किया करते थे। किन्तु आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क ने आदिवासी लोगों के एक तरफ तो आय के स्त्रोत किए (वनों का विनाष व कृषि से बेदखल करना) तो दूसरी ओर इनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को बढाया। आधुनिक समाज की चमक–दमक से प्रभावित होकर से धन के महत्व को समझने लगें। फलस्वरूप अब सामाजिक उत्तरदायित्व और संस्कारों के निर्वाहन में अधिक धन की आवश्यकता पड़ने लगी।

एक ओर आदिवासी लोगों में गरीबी व बेरोजगारी व्याप्त है तो दूसरी ओर इन्हें अनुत्पादक कार्यों के लिये अधिक धन राशि व्यय करनी पड़ती है। इन कार्यों से इनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। ये इस संबंध में अत्याधिक संवेदनषील होते है। अतः धन उधार ले कर भी इन कार्यों को पूरा करते है। अतः यह कहना गलत नही होगा कि आदिवासी लोगों के समक्ष उत्पादक वित्तीय आवश्यकताओं से अधिक अनुत्पादक वित्तीय आवश्यकताएँ है। आदिवासियों की अनुत्पादक वित्तीय आवश्यकताओं जैसे विवाह संस्कार मृत्यु उपरान्त श्राद्ध व क्रियाकर्म बच्चों का जन्म संस्कार व शिक्षा आदि अतः यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी लोगों को अनुत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धन का अधिक आवश्यकता होती है। इन कार्यों के प्रति आदिवासी व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील है। किसी भी कीमत पर वह इन कार्यों को सम्पन्न अवश्य करता है, किन्तु आदिवासी क्षेत्र में स्थापित बैंक आय अर्जित क्रियाओं के लिये ऋण प्रदान करती है। आदिवासी लोगों को इन कार्यों के लिये ऋण नहीं देती है अर्थात इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

आदिवासी लोगों में गरीबी व बेरोजगारी व्याप्त है। निर्धनता के कारण आदिवासी लोगों को आर्थिक प्रवृति हेतु ऋण प्रदान करना आदिवासी क्षेत्रों के बैंकों का दायित्व हैं। बैंकों द्वारा आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सामान्यतः बैंक ऋण उत्पादक सम्पति क्रय करने के लिये प्रदान करते है। बैंक उन सभी आर्थिक क्रियाओं के लिये ऋण प्रदान करती है जिसके फलस्वरूप ऋण प्राप्तकर्ता आय अर्जित कर सकें। जनता अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करती है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों और आर्थिक प्रवृतियों के लिये ऋण देने के निश्चित मानक निर्धारित है उसी के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है।

सर्वप्रथम आदिवासियों द्वारा आय अर्जित करने के लिये कार्य योजना तय की जाती है योजना के बन जाने के पश्चात उस योजना के क्रियान्वयन में कितने धन की आवश्यकता होगी इसका आंकलन कर वह धन एकत्र करने में जुट जाता है। लेकिन बचत की प्रवृति ना होने के कारण धन का अभाव प्रायः होता ही हैं। अतः धन के अभाव को दूर करने के लिये बैंकों पर निर्भर होना पड़ता हैं। बैंक से जितनी धनराशि प्राप्त हो जाये उसी में कार्य योजना क्रियान्वित करनी पड़ती है। अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों का आकार क्या है। चयनित बैंक ग्राहकों को कितनी–कितनी धन राशि बैंकों द्वारा प्रदान की गई है।

बैंकों के द्वारा आदिवासियों को ऋण कितना दिया जाता है यह राशि कुछ निश्चित नहीं होती है। उनकी मांग के आधार पर बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता हैं। बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण राशि (अनुदान सहित, यदि हो तो) के आधार पर ऋणप्राप्तकर्ताओं का विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः–

तालिका क्रमांक 2
प्रदत्त ऋण राशि और बैंक ऋण प्राप्तकर्ता

धन राशि	संख्या	प्रतिशत
0–5000	0	0
5000–10000	0	0
10000–15000	16	8.21
15000–20000	38	18.98
20000–25000	43	21.50
25000–30000	65	32.31
30000 तथा अधिक	38	18.99
योग	200	100

साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार

उक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि बैंक ने 10000 रू. से कम राशि का ऋण किसी भी ऋणी को प्रदान नहीं किया है। बैंक द्वारा लगभग 32 प्रतिशत लोगों को 25000रू. से 30000रू. तक की धनराशि का ऋण प्रदान किया है जो चयनित जिलें में सर्वाधिक है। लगभग 22 प्रतिशत लोगों को 20000रू. से 25000रू. की राशि का ऋण प्रदान किया गया है। बैंक द्वारा 19 प्रतिशत लोगों को 30000रू. तक की ऋण राशि भी प्रदान की गई है। इस प्रकार अधिकतर लोगों को 10000रू. से अधिक

की ऋण राशियाँ प्रदान की गई है। बैंकों के द्वारा आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिये खुले हस्त से ऋण प्रदान करना होगा तभी आदिवासी समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पायेगा क्योंकि सामान्यतः वे आर्थिक रूप से ही कमजोर होते है।

प्रदत्त ऋण की पर्याप्तता

बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण के आकार को देखा जाये तो ऋण की राशि पर्याप्त लगती है लेकिन जो ऋण जिस कार्य योजना के लिये दिया गया है, उसके अनुसार धनराशि पर्याप्त है ? जिस कार्य के लिये जितने धन की आवश्यकता है, उतना धन प्राप्त हुआ है? अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ऋण की पर्याप्तता की जाँच कार्य योजना के परिपेक्ष्य में भी की जाये। चयनित उत्तरदाता बैंक ऋण प्राप्तकर्ताओं ने कृषि व कृषि सम्बद्ध कार्य कुआ खुदाई या मरम्मत पम्प सेट लगाना, हल–बैल क्रय,तेल घाणी, फसल ऋण, वृक्ष लगाना दुग्ध या अण्ड़ा व्यवसाय गाय क्रय करना, भैंस क्रय करना,बकरियों के क्रय हेतु, मुर्गियों के क्रय हेतु (मुर्गीपालन) व्यापार–फुटकर व्यापार, किराना दुकान, दर्जी की दुकान बेलगाड़ी क्रय हेतु आदि योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया।

इस प्रकार उत्तरदाता बैंक प्राप्तकर्ताओं ने कृषि, दुग्ध व्यापार व वन सम्बंधित ऋण प्राप्त किया। लेकिन क्या बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण उनकी कार्य योजना के लिये पर्याप्त थे? यह जानने के लिये चयनित उत्तरदाताओं द्वारा निम्न कार्य योजना का उल्लेख किया–

पम्प सेट

आदिवासी क्षेत्र के कुओं पर पानी खींचने के लिये पम्प सेट लगाने हेतु ऋण प्रदान किया गया। आदिवासी क्षेत्र में कुओं की औसत गहराई 50–55 फीट है। अतः पम्प सेट लगवाने हेतु आवश्यक धनराशि के संबंध में जानकरी प्राप्त की गई। जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

तालिका क्रमांक 3
पम्प सेट के लिये आवश्यक धनराशि एंव ऋण राशि

मद	बाजार मूल्य	प्रदत्त राशि
पम्प सेट 3 हार्स पावर	14400	14400
पाईप इत्यादि का व्यय	7200	5000
पम्प सेट के लिये शेड इत्यादि की व्यवस्था करना	1800	0
योग	23400	19400

साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्तमान कीमतों पर पम्प लगाने हेतु 23400 रू. की आवश्यकता है। वास्तव में बैंक ने 19400 रू. ऋण के रूप में प्रदान किये है। यह राशि पर्याप्त नहीं कहीं जा सकती है। यह मात्र पम्प सेट की कीमत है। यह अपेक्षा की जाती है कि षेष राशि की व्यवस्था ऋणी स्वंय करें। जो ऋण के लिये षायद संभव ना हो। मात्र पम्प सेट व पाईप का मूल्य चुकाना अपर्याप्त है।

बकरी क्रय करने हेतु ऋण

बकरी क्रय हेतु ऋण दिया जाता है ताकि साल भर दूध मिलता रहें। बकरी के लिये प्रदत्त ऋण की पर्याप्तता की जॉच हेतु 1 बकरी की लागत तथा रखरखाव पर होने वाले व्ययों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई जो इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक 4
बकरी क्रय करने के लिये आवश्यक धनराशि एंव ऋण राशि

मद	बाजार मूल्य	प्रदत्त राशि
बकरी की कीमत (2 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली)	18000	18000
बकरी के चारे की कीमत (30 रू. प्रतिदिन एक बकरी का) 3 माह का	2700	1000
दूध निकालने के लिये बर्तन आदि की कीमत	750	0
योग	21450	19000

साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार

उक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि बकरी के क्रय हेतु ऋण दिया जाना चाहिये। चारे व दूध निकालने के बर्तन के लिये भी धनराशि दी जानी चाहिये। व्यवहार में मात्र बकरी की कीमत के लिये ऋण दिया गया है। इस प्रकार बैंक बकरी खरीदने के लिये ऋण दे रहा है तो उसे न्यूनतम लगभग 21450 रू. ऋण के रूप में देना ही चाहिये। 2–3 माह बाद जब बकरी का पालनपोषण नहीं हो पाता है तो, वह आय की कमी के कारण बकरी के ऋण की किश्त भी चुका नहीं पाता है। तथा बैंक के समक्ष भुगतान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ऋणी के आय की नियमितता ही समाप्त हो जाती है और इस व्यवसाय से ऋणी को पुरा लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त योजनाओं से यह पता चलता है कि बैंक आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण प्रदान कर रहें है, वह कार्य योजना के अनुसार पर्याप्त नहीं है। अतः यह स्पष्ट होता है कि ऋण प्राप्तकर्ताओं को उत्पादक कार्यों के लिए भी आवश्यकता अनुसार बैंक ऋण प्राप्त नहीं होता है इसलिये उन्हें ऋण प्राप्ति के लिए अन्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। जब उत्तरदाताओं से यह पुछा गया कि यदि उन्हें धन की जरूरत हो तो ऋण लेने के लिये बैंक के पास जाना पसंद करेंगे, महाजनों के पास जाना पसंद करेगे या अन्य किसी विकल्प का सहारा लेगें।

विगत कई सालों में आदिवासी लोगों को प्राप्त ऋणों की राशि में हो रही प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि गिरती हुई दर से हो रही हैं अर्थात बैंक धीरे–धीरे आदिवासी लोगों को प्रदत्त ऋण की मात्रा कम कर रहें है। इसका कारण बैंकों के समक्ष ऋण के पुनर्भुगतान की कठिन समस्या है। उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से रकम ना मिल पाने के कारण उनकी जरूरतें अधूरी रह जाती है। जरूरतें पूरी

करने के लिये वे पुनः महाजनों की ओर जाते है और ऋण प्राप्त कर अपनी जरूरतों को पूरा करते है। बैंकों द्वारा आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए ही ऋण प्रदान किये जाते है अनार्थिक कार्यों के लिये धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस प्रकार सार रूप में कहा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्र के बैंक आदिवासी लोगों को सभी आवश्यकताओं के लिये ऋण प्रदान नहीं कर पा रहें है। ऋण की प्राप्ति में समय अधिक लगने के कारण व आवश्यकता से कम ऋण मिलने की वजह से आदिवासी जन बैंकों की ओर से विमुख हो रहे है। वे लोग बैंकों से ऋण प्राप्त करने की अपेक्षा महाजन से ऋण लेने में ज्यादा सहोलियत मानते हैं और वे अपनी जरूरतें पूरी करतें है क्योंकि महाजन के यहाँ आर्थिक व अनार्थिक दोनों कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। इस वजह से बैंक आदिवासियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो पा रही है।

निष्कर्ष

आदिवासी क्षेत्र में स्थापित बैंकों का यह उत्तरदायित्व है कि वह आदिवासी लोगों की उत्पादक व अनुत्पादक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस सम्बंध में यह सुझाव है कि बैंकिंग नियमों में इस तरह के संशोधन किया जावे कि बैंक आदिवासी लोगों को आवश्यक धनराशि ऋण के रूप में प्रदान कर सकें। बैंकों में इस संबंध में पृथक से विभाग बनाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए बैंकिंग नियमों में संशोधन कर आदिवासी लोगों के लिए अनुत्पादक ऋणों हेतु प्रावधान करने होगे। उत्पादक ऋणों के लिए भी ऋण संबंधी प्रावधान में संशोधन करने होगे। ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में भी लचीलापन होना चाहिये जिससे की ऋण लेने के लिये अधिक से अधिक आदिवासीजन बैंकों से जुडेगे। बैंकों के द्वारा आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिये खुले हस्त से ऋण प्रदान करना होगा तभी आदिवासी समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पायेगा क्योंकि सामान्यतः वे आर्थिक रूप से ही कमजोर होते है मानसिक रूप से नहीं ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *जिला सांख्यिकी रूपरेखा धार जिला 2011*
2. *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाषित*
3. *पत्र–पत्रिकाएँ एंव रिपोर्टस*
4. *मध्यप्रदेश के प्रमुख आकड़ें जिला भोपाल*
5. *नई दुनिया–स्थानीय*
6. *दैनिक भास्कर–स्थानीय*
7. *आदिवर्त म.प्र. की प्रमुख जनजातियाँ*
8. *वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट*
9. *इकॉनोमिकस टाईम*